फर्द अहकाम

[नियम 26]

अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर   मुकाम अलवर

.... बनाम ....

इस्म मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.6.24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो निर्णय प्रति पृथक से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जावे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/31	17.10.2023	136 LR Act	10 .06.2024

बउनवान

01:–उदयभान पुत्र भौरेलाल जाति ब्राहमण आयु 70 साल निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर —प्रार्थी

बनाम

01:–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अलवर

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आ० ख० नं0 286/0.29 है0, 287/0.23 है० वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है वादी की जाति ब्राहमण के स्थान पर गुर्जर एवं पिता का नाम भौरेलाल के स्थान पर भौरीलाल दर्ज रिकार्ड किया गया है जो कि सही नहीं है जबकि आ० ख० नं0 269/0.16 है0, 270/0.16 है0, 271/0.18 है0, 272/0.28 है0, 273/0.27 है0, 274/0.30 है0, 275/0.55 है0, 276/0.27 है0, 277/0.26 है० वाके ग्राम ढहलावास तहसील अलवर पर वादी की जाति ब्राहमण एवं पिता का सही नाम भौरेलाल दर्ज रिकार्ड है। वादी आ० ख० नं0 286/0.29 है0, 287/0.23 है0 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में अपनी जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहमण एवं पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भौरेलाल दर्ज रिकार्ड कराना चाहता है इसलिए यह वाद पत्र पेश करना लाजिम आया। पूर्व जमाबंदी संवत 2070–73 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर जिला अलवर खाता सं0 132 में दर्ज खसरा नंबर 286/0.29 है0, 287/0.23

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

है0 में सगरू पुत्र जयनारायण हि० 1/4, दुर्गाप्रसाद, मनोहर, श्यामलाल, उदयभान पि० भौरेलाल स.भा. हि० 1/4 सा० ढहलावास के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी आ० ख० नं० 286/0.29 है0, 287/0.23 है० वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान में वादी अपनी जाति एवं भाईयो की जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहमण एवं पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भौरेलाल दर्ज रिकार्ड भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत वाद पत्र पेश कर कार्यवाही की जाकर शुद्धिकरण किए जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट मे अंकन किया है कि प्रार्थी श्री उदयभान पुत्र श्री भौरेलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम ढहलावास तहसील व जिला अलवर द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आ० ख0 न0 286/0.29, 287/0.23 वाके ग्राम बख्तपुरा में प्रार्थी की जाति ब्राहमण के स्थान पर गुर्जर एवं पिता का नाम भौरेलाल के स्थान पर भौरीलाल दर्ज रिकार्ड किया गया है जो सही नहीं है जबकि आ० ख0 न0 269/0.16, 270/0.16, 271/0.18, 272/0.28, 273/0.27, 274/0.30, 275/0.55, 276/0.27, 277/0.26 पर प्रार्थी की सही जाति ब्राहम्मण एवं पिता का सही नाम भौरेलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी आ०ख0न0 286/0.29, 287/0.23 वाके ग्राम बख्तपुरा में अपनी जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहम्मण एवं पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भरिलाल दर्ज रिकार्ड किये जाने का अनुतोष चाहता है।

उक्त कथनो के क्रम मे मुताबिक संलग्न जमाबंदी संवत 2039-42 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर खाता संख्या 32 में दर्ज साबिक ख0न0 113 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जयनारायण पुत्र रामप्रताप हि. 1/2 जाति ब्राहम्मण सा. ढहलावास वगै० खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदार जयनारायण पुत्र रामप्रताप की मृत्यु के पश्चात मृतक जयनारायण पुत्र रामप्रताप हि. 1/2 की विरासत का नामा० संख्या 164 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर दिनांक 28.05.1986 को वारिसान सगरु पुत्र जयनारायण हि.

उपखण्ड अधिकारी

1/2, दुर्गाप्रसाद, मनोहरलाल, श्यामलाल, उदयभान पि. भौरेलाल स.भाग हि. 1/2 दर हि. 1/2 शेष हि. 1/2 बदस्तूर के नाम दर्ज किया जा कर दिनांक 28.05.1986 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामा० में कालम न० 07 एवं 09 में मृतक एवं वारिसानों की जाति अंकित नहीं की गई जबकि जमाबंदी संवत 2039-42 के खाता संख्या 32 में दर्ज खातेदार मृतक जयनारायण पुत्र रामप्रताप की जाति ब्राहम्मण स्पष्ट अंकित है। उक्त नामा० संख्या 164 किस्म विरासत का नोट भी इसी जमाबंदी संवत 2039-42 वाके ग्राम बख्तपुरा में अंकित है। मुताबिक मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर साबिक ख0न0 113 मि. रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा के नवीन ख0न0 286/0.29 व 287/0.23 कायम हुये जो मिसल बन्दोबस्त संवत 2051 वाके ग्राम बख्तपुरा में सगरू पुत्र जयनारायण हि. 1/2 दुर्गाप्रसाद, मनोहरलाल, श्यामलाल, उदयभान पि. भौरीलाल समभाग हि. 1/2 दर हि. 1/2 सा. दहलावास दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम भौरेलाल के स्थान पर भौरीलाल दर्ज किया गया तथा जाति का अंकन नहीं किया गया।

मुताबिक सेग्रीगेशन से पूर्व जमाबंदी संवत 2070-73 वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर खाता संख्या 132 में दर्ज ख0न0 286/0.29 व 287/0.23 किता 02 रकबा 0.52 है0 सगरू पुत्र जयनारायण हि. 1/4 दुर्गाप्रसाद मनोहर श्यामलाल, उदयभान पि. भौरीलाल स.भा. हि. 1/4 सा. ढहलावास एवं टुण्डाराम रूपराम पि. गणेश हि. 1/2 गूजर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक हाल आनलाईन जमाबंदी वाके ग्राम बख्तपुरा तहसील अलवर हाल खाता संख्या 126 में दर्ज 5 ख0न0 286/0.29 व 287/0.23 उदयभान पुत्र भौरीलाल हि. 1/16, दुर्गाप्रसाद पुत्र भौरीलाल हि. 1/16 मनोहर पुत्र भौरीलाल हि. 1/16, श्यामलाल पुत्र भौरीलाल हि.1/16, समरु पुत्र जयनारायण हि. 1/4 जाति गुर्जर सा. ढहलावास खातेदार वगै० के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबंदी में उक्त खातेदारों की जाति ब्राहम्मण के स्थान पर गुर्जर दर्ज रिकार्ड है।

श्रीमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नामा० का अवलोकन करने पर जाहिर आता है कि उदयभान पुत्र भौरीलाल, दुर्गाप्रसाद पुत्र भौरीलाल, मनोहर पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

भौरीलाल, श्यामलाल पुत्र भौरीलाल, जमाबंदी सबत 2039–42 में दर्ज खातेदार जयनारायण पुत्र रामप्रताप के पोत्र है तथा सगरु पुत्र जयनारायण है। उक्त जमाबंदी में जयनारायण पुत्र रामप्रताप की जाति ब्राहमण दर्ज है लेकिन जयनारायण की विरासत के नामा0 में जाति का अंकन नहीं किया गया तथा वक्त सेग्रीगेशन उक्त खातेदारों की जाति ब्राहमण के स्थान पर गुर्जर अंकित कर दी गई तथा बन्दोबस्त के समय प्रार्थी के पिता का नाम भौरेलाल के स्थान पर भौरीलाल दर्ज रिकार्ड किया गया

प्रार्थी आ० ख0 न0 286/0.29, 287/0.23 वाके ग्राम बख्तपुरा में अपना एवं अपने भाईयों की जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहमण एवं पिता का नाम भौरीलाल के स्थान पर भौरेलाल किये जाने का अनुतोष चाहता है। प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी उचित होगी।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूप्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूप्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है रिपोर्ट/रिकार्ड अनुसार उदयभान पुत्र भौरीलाल, दुर्गाप्रसाद पुत्र भौरीलाल, मनोहर पुत्र भौरीलाल, श्यामलाल पुत्र भौरीलाल, जमाबंदी सबत 2039–42 में दर्ज खातेदार जयनारायण पुत्र रामप्रताप के पोत्र है तथा सगरु पुत्र जयनारायण है। उक्त जमाबंदी में जयनारायण पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

रामप्रताप की जाति ब्राहमण दर्ज है लेकिन जयनारायण की विरासत के नामा0 में जाति का अंकन नहीं किया गया तथा वक्त सेग्रीगेशन उक्त खातेदारों की जाति ब्राहमण के स्थान पर गुर्जर अंकित कर दी गई तथा बन्दोबस्त के समय प्रार्थी के पिता का नाम भौरेलाल के स्थान पर भौरीलाल दर्ज रिकार्ड किया गया अतः ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है जयनारायण पुत्र रामप्रताप हि. 1/2 की विरासत का नामा० संख्या 164 वाके ग्राम बख्तपुरा के इन्द्राज से आये समस्त वारिसान की जाति ब्रहमण अंकित की जावे तथा आ० ख0 न0 286/0.29, 287/0.23 वाके ग्राम बख्तपुरा में भौरीलाल के स्थान पर भौरेलाल राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे। शेष प्रृविष्टिया यथावत रहेगी।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 10-6-24 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

Scanned with OKEN Scanner